

प्रेषिका,

आकांशा बंसल,
सिविल जज(अ0ख0),
खुर्जा(बुलन्दशहर)

सेवा में,

आदरणीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा :

माननीय जनपद न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

विषय :

शासनादेश संख्या - 17081/दो-4-2011-45 (12)/91
टी0 सी0 लखनऊ दिनांक 03.01.2012 एवं शासनादेश
संख्या-1363/दो-4-2009-45(12)/91 दिनांक 13.05.2017 के
अनुसार उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयन के समय विधि
स्नातकोत्तर एल0एल0एम0 धारक होने के कारण तीन अग्रिम
वेतन वृद्धि मय मंहगाई भत्ता नियुक्ति की तिथि दिनांक
14.06.2018 से प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान् निवेदन है कि प्रार्थीया ने माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में दिनांक 14.06.2018 को अपर सिविल
जज (जू0डि0) कक्ष सं0-24 एटा के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था।
प्रार्थीया उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयन के समय विधि
स्नातकोत्तर एल0एल0एम0 उपाधि धारक थी। इसलिए प्रार्थीया उपरोक्त
शासनादेश से विधि स्नातकोत्तर होने के कारण पदभार ग्रहण करने के दिनांक
14.06.2018 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय मंहगाई भत्ता प्राप्त करने की
अधिकारी है। प्रार्थीया के द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि धारक होने के सम्बन्ध में
उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के आवेदन में भी वर्णन किया गया है।

अतः आदरणीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त
शासनादेश के अनुपालन में प्रार्थीया को पदभार ग्रहण करने के दिनांक
14.06.2018 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय मंहगाई भत्ता प्रदान करने हेतु
समुचित आदेश पारित करने के लिए प्रार्थीया का प्रतिवेदन माननीय उच्च
न्यायालय के समक्ष सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने हेतु प्रस्तुत करने की
कृपा करें।

सादर धन्यवाद।

दिनांक: 16.04.2022

प्रार्थीया,

(आकांशा बंसल)

सिविल जज(अ0ख0),

खुर्जा(बुलन्दशहर)

संलग्नक:

- 01.सेवा रिकॉर्ड में डिग्री शामिल अनुमति की छाया प्रति।
- 02.विधि स्नातकोत्तर परीक्षा के अंकपत्र की छायाप्रति।
- 03.विधि स्नातकोत्तर उपाधि की छायाप्रति।
- 04.पदभार ग्रहण करने के प्रमाणपत्र की छायाप्रति।